

पंचायती राज जागरूकता शृंखला

ग्राम सभा की बैठक

ग्राम सभा की बैठक साल में कितनी बार?

तीन महीने के अंतराल में साल में चार बार ग्राम सभा करना अनिवार्य है

26 जनवरी
2 मई
15 अगस्त
2 अक्टूबर

विशेष ग्राम सभा पंचायत समिति/जिला परिषद/जिला उपायुक्त को 1/3 सदस्यों की लिखित मांग पर 30 दिन के अंदर ग्राम सभा की बैठक की जा सकती है।

ग्राम सभा की बैठक बुलाने का दायित्व

अनुसूचित क्षेत्र परंपरागत अगुआ

गैर अनुसूचित क्षेत्र मुखिया

ग्राम सभा के बैठक की सूचना बैठक की सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचनापट में चिपका दिया जाना है, एवं प्रचार प्रसार माध्यम (डुगडुगी, ढोल एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र)

बैठक में ये सारी जानकारियां अनिवार्य है

- गाँवों में संचालित होने वाली योजनाओं की स्थिति
- योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति
- आय-व्यय की स्थिति
- ऑडिट रिपोर्ट पर जरूरतमंद कार्रवाई

ग्राम सभा की बैठक की सूचना, कितने दिन पूर्व दिया जाता है ?

- साधारण बैठक-7 दिन पूर्व
- विशेष बैठक-3 दिन पूर्व